मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *203
15.12.2025 को उत्तर के लिए

चौसा, बिहार में ताप विद्युत संयंत्र के पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन (ईआईए) संबंधी रिपोर्ट

***203. श्री सुधाकर सिंह :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चौसा (बिहार में बक्सर) स्थित ताप विद्युत संयंत्र के वायु प्रदूषण, धूल उत्सर्जन, उड़ती हुई राख (फ्लाई ऐश) का फैलाव, जल उपयोग और बहिःस्राव निपटान जैसे पर्यावरणीय प्रभावों के आकलन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष या सारांश क्या हैं;

(ग) क्या उक्त विद्युत संयंत्र के प्रचालन से किसानों की कृषि भूमि, फसलों, मृदा की गुणवत्ता, भू-जल स्तर और नदी आधारित सिंचाई प्रणालियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो अब तक किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा किसानों और पर्यावरण को बचाने के लिए उड़ती हुई राख (फ्लाई ऐश) के प्रबंधन, धूल नियंत्रण प्रणाली और कार्यान्वित किए गए अन्य निवारक उपायों और सुरक्षा प्रावधानों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ङ) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'चौसा, बिहार में ताप विद्युत संयंत्र के पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन (ईआईए) संबंधी रिपोर्ट' के संबंध में दिनांक 15.12.2025 को उत्तर के लिए श्री सुधाकर सिंह द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *203 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): बिहार के बक्सर ज़िले के चौसा गाँव में स्थित मैसर्स एसजीवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड के सुपर क्रिटिकल बक्सर ताप विद्युत संयंत्र (बीटीपीपी) [2x660 मेगावाट] के लिए पर्यावरणीय मंज़ूरी (ईसी) प्रक्रिया के अंतर्गत पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) का विस्तृत अध्ययन किया गया है, जिसमें स्थल-विशेष अध्ययन जैसे आधारभूत डेटा आकलन, क्षेत्रीय जल-निकासी के लिए हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन, सामाजिक-आर्थिक अध्ययन, शमनकारी उपायों के साथ जोखिम आकलन तथा आपदा प्रबंधन योजना शामिल थी। ईआईए रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों का विवरण भी दिया गया है, जिसमें परिवेशी वायु, जल, ध्वनि, भूमि उपयोग, मृदा, वनस्पति और जीव-जंतु आदि पर पड़ने वाले प्रभाव शामिल हैं। संबंधित पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) में कोल क्रशर इकाइयों और कोयला भंडारण स्थलों में धूल उत्सर्जन नियंत्रण हेतु बैग फ़िल्टर, धूल-प्रवण क्षेत्रों में पानी का छिड़काव, ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) का अभिग्रहण, टर्बाइनों और जनरेटरों के लिए ध्वनिरोधक आवरण, 100% फ़्लाई ऐश के उपयोग का प्रावधान और उन्नत उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियाँ स्थापित करना आदि जैसे आवश्यक शमनकारी उपायों से होने वाले प्रभावों का विधिवत समाधान किया गया है। परियोजना का विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा विधिवत परीक्षण किया गया और अपेक्षित सामान्य एवं विशिष्ट शर्तों, जिनमें पर्यावरण सुरक्षा उपाय भी शामिल हैं, को सम्मिलित करने के पश्चात दिनांक 28 फ़रवरी, 2017 को पर्यावरणीय मंज़ूरी प्रदान की गई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), रुड़की द्वारा किए गए हाइड्रोलॉजिकल आकलन के आधार पर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (बीएसपीसीबी) की रिपोर्ट के अनुसार कृषि भूमि, फसलों, मृदा की गुणवत्ता और भूजल स्तर पर कोई उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखा गया है। वर्तमान में परियोजना लागू हो चुकी है और 660 मेगावाट की पहली इकाई का व्यावसायिक संचालन दिनांक (सीओडी) 14 नवंबर, 2025 को कर लिया गया था, जबकि दूसरी 660 मेगावाट की दूसरी इकाई पर कार्य चल रहा है।

(ङ): बीटीपीपी द्वारा वायु उत्सर्जन को कम करने के लिए सुपर क्रिटिकल तकनीकों और प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों जैसे–पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) नियंत्रण हेतु उच्च दक्षता वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर्स (ईएसपी), सल्फर डायऑक्साइड (SO_2) के लिए फ्ल्यू गैस डीसल्फराइजेशन (एफजीडी), नाइट्रोजन ऑक्साइड्स (NOx) के लिए सेलेक्टिव कैटलिटिक रिडक्शन (एससीआर), वायु प्रदूषकों के व्यापक फैलाव हेतु 275 मीटर ऊँची चिमनी, प्रदूषण-प्रवण क्षेत्रों में धूल को दबाने के प्रबंध, बहिस्राव उपचार संयंत्र (ईटीपी) और अपशिष्ट उपचार संयंत्र (एसटीपी) के माध्यम से अपशिष्ट जल का शोधन के बाद पुनः उपयोग, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी), बैग फ़िल्टर वाले भंडारण स्थलों के माध्यम से ड्राई फ़्लाई ऐश हैंडलिंग प्रणाली, संयंत्र की परिधि के चारों ओर हरित पट्टी का विकास तथा परियोजना प्रस्तावक की समर्पित पर्यावरण प्रबंधन इकाई (ईएमसी) द्वारा परिवेशी वायु-गुणवत्ता और चिमनी से उत्सर्जनों की ऑनलाइन सतत निगरानी आदि जैसे उपायों को अपनाया जाता है। ईसी (पर्यावरणीय मंज़ूरी) और सीटीओ (प्रचालन सहमति) में निर्धारित पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का अनुपालन क्रमशः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पटना उप-कार्यालय और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (बीएसपीसीबी) द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

*****